प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 10.09.2025

अवैध व कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर बीमा कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा लेने का अपराध कारित करने के आरोप में 02 नफर अभियुक्त (डिसेन्ट हॉस्पिटल के संचालक व भागीदार) गिरफ्तार व कब्जे से कूटरचित बी0एच0टी0 रिपोर्ट, कम्प्यूटर व अन्य दस्तावेज बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष रामगढ़ताल के नेतृत्व में उ0नि0 राम सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 591/2025 धारा 318(4),119(2),338,336(3),340(2),61(2) भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त 1.शमशुल कमर उर्फ सोनू खान व 2.प्रवीण त्रिपाठी उर्फ विकास मणि त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.09.2025 को थाना स्थानीय पर बजाज आलियांज जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से धोखाधड़ी होने के संबंध में वादी मुकदमा से प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 591/2025 धारा 318(4),119(2),338,336(3),340(2),61(2) बी0एन0एस0 विरूद्ध डिसेन्ट हास्पिटल के संचालक, एपेक्स हास्पिटल के संचालक व मनीष वर्षने के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। कंपनी के बीमा धारक एक व्यक्ति के नाम पर एपेक्स अस्पताल व डिसेन्ट अस्पताल में एक फर्जी मरीज को भर्ती कराकर हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर बीमा धारित व्यक्ति के नाम पर खोले गए कूटरचित बैंक खाते में 01,80,672 रुपये लिया गया। बीमा धारित व्यक्ति बताए गए अस्पताल में कभी भर्ती नहीं हुए थे और एपेक्स नाम का अस्पताल अस्तित्व में नहीं है।

अपराध का तरीका-

जाँच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश मे आया कि हॉस्पिटल संचालक, डॉक्टर व बीमा कम्पनी के एजेंट संयुक्त रुप से अपराध में शामिल हैं, जिनके द्वारा बीमा धारित मरीजों का विवरण लेकर उनके नाम से कूटरचित मेडिकल प्रपत्र तैयार कर हेल्थ बीमा क्लेम की धनराशि का भुगतान कराकर आपस में बांट लिया जाता था।

मरीजों की मूल आई0डी0 की कूटरचना कर अवैध दस्तावेज तैयार कर उसी आई0डी0 से बीमा पालिशी के तहत **अस्पताल/काल्पनिक अस्पताल** में भर्ती मे दिखाया जाता है **जबकि अस्पताल में कोई मरीज भर्ती नहीं होता है।** डॉक्टर की सहायता से उसकी कूटरचित बी0एच0टी0 रिपोर्ट तैयार कर मरीजों से एक मोटी रकम लेना दिखाया जाता है। बीमा एजेन्ट की मदद से क्लेम पास कराकर बीमा कम्पनी के माध्यम से हॉस्पिटल के अकाउन्ट मे पैसा लिया जाता है। उक्त पूरी प्रक्रिया मे हास्पिटल संचालक, एजेन्ट, बीमा एजेन्ट , डाक्टर और फर्जी मरीज का कमीशन नियत होता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम,पता व आपराधिक इतिहास

1. **हास्पिटल संचालक-** शमशुल कमर उर्फ सोनू खान पुत्र स्व0 बरकत उल्लाह खान निवासी गेंहुआसागर थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर

   i. मु0अ0सं0 591/2025 धारा 318(4),119(2),338,336(3),340(2),61(2) बी0एन0एस0 थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर

   ii. मु0अ0सं0 0005/2019 धारा 147,323,342 भादवी थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर।

   iii. मु0अ0सं0 0138/2025 धारा 316(2),351(3),352 भादवी थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।

   iv. मु0अ0सं0 0681/2024 धारा 406,420,504,506 भादवी थाना कैंट जनपद गोरखपुर।

2. **हास्पिटल के भागीदार- प्रवीण त्रिपाठी उर्फ विकास मणि त्रिपाठी पुत्र स्व0 जानकी जीवन मणि त्रिपाठी निवासी म0नं0 59 मेवातीपुर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर**

   i. मु0अ0सं0 591/2025 धारा 318(4),119(2),338,336(3),340(2),61(2) बी0एन0एस0 थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर ।

   ii. मु0अ0सं0 0545/2024 धारा 2(ख)(i)(viii)(xi)(xii)/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।

   iii. मु0अ0सं0 0253/2023 धारा 147,386,395,457,506,427 भादवी थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर

   iv. मु0अ0सं0 0404/2024 धारा 351(2),69 बीएनएस थाना कैंट जनपद गोरखपुर।

   v. मु0अ0सं0 0681/2024 धारा 406,420,504,506 भादवी थाना कैंट जनपद गोरखपुर।

   vi. मु0अ0सं0 0005/2019 धारा 147,323,342 भादवी थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर।

बरामदगी विवरण-

i. फर्जी बीएचटी

ii. एक अदद हास्पिटल में संचालित कम्प्यूटर(जांच जारी है)

iii. हास्पिटल के रिकार्ड रूम से भारी मात्रा में बीएचटी रिपोर्ट (जांच जारी है)

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 राम सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अनित कुमार राय थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 उपेन्द्र सिंह साइबर थाना जनपद गोरखपुर
4. उ0नि0 उपेन्द्र कुमार निर्मल थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
5. म0उ0नि0 आयशा बानो थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
6. म0उ0नि0 शिखा सोनी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
7. **7.** कां0 अतुल रजक थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर